FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

चुनाराम बनाम पाबुराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 128 R.T.A. नं. 119 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/4/2018	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 R.T.A. राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/4/2018 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/04/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील प्रश्न तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली नियत दिनांक 18/05/18 को पेश हो। [signature]	
18/05/18	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान - 2018 केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बानोड़ में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री एडवोकेट	

[signature]

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिशनर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखम-बन्दी मौके पर कमिशनर शुल्क जमाकराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018

(केम्प कोर्ट, कानोड़)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/262 दिनांकः– 18/05/2018

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री चुनाराम पुत्र रामचन्द्र वगैरा 3
जाति जाट निवासी सेवनियाला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

1. श्री पाबुराम पुत्र किशनाराम वगैरा 39
निवासीयान्–खरताणियों की ढाणी, सेवनियाला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या :– 119/18

आदेश

मौजा पनाणियों की ढाणी पटवार हल्का सेवनियाला के खेत खसरा नम्बर 254/229 रकबा 21.06 बीघा, मौजा सेवनियाला पटवार मण्डल सेवनियाला के खसरा नम्बर 495/199, 496/199 रकबा 24.06, 28.00 बीघा, मौजा चैनाणियों की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला के खेत खसरा नम्बर 248/118 रकबा 20.18 व मौजा खरताणियों की ढाणी पटवार मण्डल सेवनियाला के खेत खसरा नम्बर 421/91 रकबा 18.07 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से उनके खेतों का सीमाज्ञान करवाकर, वे स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों के चारो तरफ सेढा पड़ौसियों को नोटिस देने के बाद, दोनो पक्षों की उपस्थिति में, प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 18/05/2018

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/18/263–67

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, सेवनियाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चुनाराम पुत्र रामचन्द्र वगैरा 3।
4. विप्रार्थी श्री पाबुराम पुत्र किशनाराम वगैरा 39।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

19. किशनाराम पुत्र कनाराम

20. डूंगराराम पुत्र दमाराम

चुनाराम